MPIDC
MP Industrial Development Corporation Limited

Azadi Ka Amrit Mahotsav

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्र.193 / एमपीआईडीसी / स्था. / से.नि.–17 / 2025 / 3898 **भोपाल दिनांक :** 21/03/25

/ /आदेश/ /

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक 193 / MPIDC/Est./S.N.17/2024 दिनांक 21.08.2024 द्वारा दिव्यांगजनों हेतु सहायक यंत्री के पद पर नियुक्ति हेतु निगम सेवा नियम–2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 7–19 / 2019 / आ.प्र. / एक, दिनांक 31.05.2024 में निहित निर्देशानुसार दिनांक 14.12.2024 को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कराया गया। एम.पी. ऑनलाईन से प्राप्त ऑनलाईन परीक्षा की मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के दिनांक 03.03.2025 को आयोजित साक्षात्कार उपरान्त अभ्यर्थियों के ऑनलाईन परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की गई। चयन सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को सातवें वेतनमान लेवल–12 56100–177500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक यंत्री पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाऐ गये स्थान पर अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक के लिए एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

सं.क्र.	**अभ्यर्थी का नाम**	**अभ्यर्थी की श्रेणी**	**वर्तमान पता**	**दिव्यांगजन पद की श्रेणी**	**दिव्यांगता का प्रतिशत**	**पदस्थापना का स्थान**
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)
1	श्री अभिलाष कुमार मिश्रा	अनारक्षित	मकान नं.–258, वार्ड क्र.27, सीटी होम्स के पीछे, जवाहर नगर, सतना (म.प्र.) – 485001	बहरे और कम सुनने वाले	40% (स्थाई)	एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा

2. नियुक्ति आदेश में जिन अभ्यर्थी का चयन हुआ है उनके द्वारा साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता की सत्यता एवं प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई विपरीत जानकारी या टिप्पणी जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त होती है अथवा कालान्तर में दिव्यांगता के संबंध में कोई विपरीत जानकारी प्राप्त होती है तो चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
3. उपरोक्त निगम सेवक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961,म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
4. इस आदेश से नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र भी कार्यभार ग्रहण के समय पदस्थापना स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र में दी गई जानकारी पुलिस सत्यापन में निगम सेवा के अयोग्य पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी तथा अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवा के लिए भी अयोग्य किया जा सकता है।
6. नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के पश्चात 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि पश्चात नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
7. शासकीय / अर्द्धशासकीय / विभागों / निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. भविष्य में निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन निगम कोष में जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।

9. संबंधित निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ उनकी सत्यापित प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरान्त पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा तत्काल प्रबन्ध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रहेगी।

(चन्द्रमौली शुक्ला)
प्रबंध संचालक

पृ.क्र.193 / एमपीआईडीसी / स्था. / से.नि.–17 / 2025 / 3896 **भोपाल दिनांक :** 21/03/25
प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षिणक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
3. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल / उज्जैन / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / सागर / शहडोल / नर्मदापुरम / चंबल की ओर सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक (प्रशासन), एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक (आई.टी.), एमपीआईडीसी, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्रति निगम वेबसाईट में प्रदर्शित कराएँ।
6. **श्री अभिलाष कुमार मिश्रा** की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात् 15 दिवस के अन्दर निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि के पश्चात् नियुक्ति आदेश सम्बधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

संलग्न :– चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप।

प्रबंध संचालक

(एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपेंट कॉर्पोरेशन लि. में सहायक यंत्री पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

मैं ....आयु.............पुत्र / पुत्री / पत्नी..निवासी ....
....शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ–

फोटो

1. यह कि मेरा चयन एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड में सहायक यंत्री के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया हैं और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वार्जित नही किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किऐ हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए है, यदि उनमें कोई भी जानकारी / अभिलेख असत्य पाऐ जाते है, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्व असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता ....सत्यापित करता / करती हूँ कि इस शपथ–पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक............................को................................मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता